संख्या—22/21/1983—कार्मिक—2

प्रेषक,

श्री हरीश चन्द्र गुप्त,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1——समस्त सचिव/विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2——समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 28 नवम्बर, 1985

विषय:——कुशल खिलाड़ियों को राज्याधीन समूह "ख" व समूह "ग" की सेवाओं में भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा से छूट।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग—2 मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या बी—52/दो—4/75—नियुक्ति—4 दिनांक 11 फरवरी, 1975 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा कुशल खिलाड़ियों के लिये लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर की वर्ग—3 की सेवाओं में भर्ती हेतु आरक्षण एवं आयु सीमा से छूट की व्यवस्था की गई थी। कालान्तर में इस कार्यालय—ज्ञाप में दी गई आरक्षण व्यवस्था समाप्त हो गई। वर्तमान में केवल आयु सीमा से छूट ही अनुमन्य है। शासन के विचाराधीन यह प्रस्ताव आया कि कुशल खिलाड़ियों के लिए समूह "ख" व "ग" के समस्त पदों पर भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा से छूट प्रदान की जाए।

2——उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त शासन ने लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के परामर्श से यह निर्णय लिया है कि राज्याधीन समूह "ख" व समूह "ग" की समस्त सेवाओं/पदों, चाहे वह लोक सेवा आयोग की परिधि में आते हों या उसके बाहर हों, पर भर्ती हेतु वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाये। वर्गीकृत खेलों के नाम, प्रमाण-पत्रों के प्रारूप, प्रमाण-पत्र देने के लिये प्राधिकृत अधिकारी तथा कुशल खिलाड़ियों की परिभाषा वही मान्य रहेंगे जैसे कि संलग्न कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11 फ़रवरी 1975 में दिये गये हैं।

3——यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे किन्तु ऐसे मामलों में जहां चयन हो चुके हैं या किसी चयन की कार्यवाही इस शासनादेश की तिथि से पहले ही आरम्भ की जा चुकी है, यह आदेश लागू नहीं माने जायेंगे। कृपया इन आदेशों से अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें। आवश्यकता-नुसार संगत सेवा नियमों में भी इस आशय का प्रावधान कर लिया जाये।

भवदीय,
हरीश चन्द्र गुप्त,
विशेष सचिव।

संलग्नक: यथोक्त

संख्या—22/21/83—(1)—कार्मिक—2 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:——

1——निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश, को इस अनुरोध के साथ कि इन आदेशों का प्रसारण विभिन्न सूचना माध्यमों से करा दें।
2——समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3——समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4——सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5——सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या 612/22/मिस—एस—10/83—84 दिनांक 8 अक्टूबर, 1985 के संदर्भ में।
6——निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7——निदेशक, खेलकूद निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8——समस्त मंत्रियों के सूचनार्थ उनके निजी सचिव।
9——सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10——स्पोर्ट्स अनुभाग।
11——सचिव, विधान सभा/परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग–4

संख्या बी–52/दो–4-75, नियुक्ति- 4

लखनऊ : दिनांक 11 फरवरी, 1975

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि नियुक्ति अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या 33/3/1973-नियुक्ति–4, दिनांक 7 नवम्बर, 1974 में यह निदेश दिये गये हैं कि वर्ग–3 की सेवाओं में, जो लोक सेवा आयोग के कार्य-क्षेत्र के बाहर हैं, जब तक अनुसूचित जातियों के लिये प्रतिनिधित्व 9 प्रतिशत नहीं हो जाता तब तक उनके लिये 45 प्रतिशत का आरक्षण रहेगा। इसी प्रकार अनुसूचित जन जातियों के लिये उक्त सेवाओं में जब तक 2 प्रतिशत का आरक्षण पूरा नहीं हो जाता तब तक उनके लिये 5 प्रतिशत का आरक्षण रहेगा। इन आदेशों के अन्तर्गत अन्य वर्गों के लिये पूर्व में लिये गये आरक्षण के प्राविधान स्थगित रहेंगे जब तक कि अनुसूचित जातियों के लिये 9 प्रतिशत तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये 2 प्रतिशत का आरक्षण पूरा नहीं हो जाय।

2—शासन ने कुशल खिलाड़ियों को भी राज्याधीन वर्ग–3 की सेवाओं में आरक्षण देने का निश्चय किया है। अतः यह फ़ैसला किया गया है कि:—

(1) वर्ग–3 की सेवाओं में और पदों पर जो लोक सवा आयोग की परिधि के बाहर हैं, वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों के लिये, जो निर्धारित फार्म में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे 1 प्रतिशत का आरक्षण ऐसे सभी कार्यालयों में होगा जहां अनुसूचित जातियों के लिये 9 प्रतिशत तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये 2 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व पूरा हो चुका है।

(2) कुशल खिलाड़ियों के लिये उक्त सेवाओं में अधिकतम आयु सीमा से पांच वर्ष की छूट रहेगी।

3—वर्गीकृत खेलों के नाम अनुलग्नक 'क', प्रमाण पत्र देने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम अनुलग्नक 'ख' तथा प्रमाण-पत्र के फार्म अनुलग्नक 'ग' में दिये गये हैं। निम्नलिखित वर्गों के खिलाड़ी कुशल समझे जायेंगे —

(1) अनुलग्नक 'क' पर दी गयी सूची में वर्णित खेल/क्रीड़ा में राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी राज्य या अपने देश की ओर से भाग लेने वाले खिलाड़ी, जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दो वर्ष तक भाग लिया हो तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कम से कम एक वर्ष तक भाग लिया हो।

(2) अनुलग्नक 'क' पर दी गयी सूची में किसी भी खेल/क्रीड़ा में अन्तर्विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय टूर्नामेन्टों में अपने विश्वविद्यालय की ओर से तीन वर्षों तक भाग लेने वाले खिलाड़ी।

(3) अनुलग्नक 'क' पर दी गयी सूची के किसी भी खेल/क्रीड़ा में अखिल भारतीय स्कूल खेल-कूद संघ द्वारा आयोजित स्कूलों की राष्ट्रीय क्रीड़ा/खेलों में राज्य की स्कूल टीम की ओर से तीन वर्षों तक भाग लेने वाले खिलाड़ी।

4—यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से,
गुलाम हुसैन,
आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में,

सचिवालय के समस्त अनुभाग।

संख्या बी–52(1)/दो–4-75, नियुक्ति–4

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1—गोपन अनुभाग (1) को उनके अशासकीय संख्या 4/2/38/74, दिनांक 7 अक्टूबर, 1974 के संदर्भ में।

2—निदेशक, खेलकूद निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

3—समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

4—समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
गौरी शंकर सिंघल,
उप सचिव।

अनुलग्नक 'क'

खेलों/क्रीड़ाओं की सूची

1--एथलेटिक्स (ट्रैक तथा फील्ड संबंधित क्रीड़ाओं सहित)
2--बैडमिन्टन
3--बास्केट बाल
4--क्रिकेट
5--फुटबाल
6--हाकी
7--तैराकी
8--टेबिल टेनिस
9--वालीबाल
10--टेनिस
11--भारोत्तोलन
12--कुश्ती
13--बाक्सिंग
14--साइकिलिंग
15--जिमनास्टिक
16--जूडो
17--राइफल शूटिंग
18--कबड्डी
19--खो-खो
20--गोल्फ।

अनुलग्नक 'ख'

प्रमाण-पत्र देने वाले अधिकारी

क्रम-संख्या	प्रतियोगिता	प्रमाण-पत्र प्रदान करने वाले अधिकारी	जिस फार्म में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाना है
1	अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता	संबंधित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन का सचिव	1
2	राष्ट्रीय प्रतियोगिता	संबंधित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन अथवा स्टेट एसोसिएशन के सचिव।	2
3	अन्तर्विश्वविद्यालय टूर्नामेन्ट।	संबंधित विश्वविद्यालय के डीन आफ स्पोर्टस अथवा क्रीड़ाओं के कोई अन्य सर्व कार्यभार अधिकारी।	3
4	राष्ट्रीय स्कूल खेलकूद	राज्य के शिक्षा निदेशालय म स्कूल खेल/क्रीड़ा के सर्व कार्यभारी निदेशक अथवा अतिरिक्त संयुक्त या उप निदेशक।	4

अनुलग्नक 'ग'

प्रमाण-पत्र के फार्म—1 से 4

फार्म—1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)।

संबंधित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम——————————
राज्य सरकार की तृतीय/चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र।

———

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी——————————
आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री——————————निवासी——————————
——————————(पूरा पता)——————————ने
दिनांक——————————से दिनांक——————————तक——————————(स्थान का नाम) में आयोजित——————————(क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके/टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में——————————स्थान प्राप्त किया गया।
यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन (यहां संस्था का नाम दिया जाये)——————————
——————————में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान——————————
दिनांक——————————

हस्ताक्षर——————————
नाम——————————
पद——————————
संस्था का नाम——————————
——————————
मुहर——————————

नोट—यह प्रमाण-पत्र, नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

———

फार्म—2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
(संबंधित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम)——————————
राज्य सरकार की तृतीय/चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र।

———

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी——————————
आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री——————————निवासी (पूरा पता)——————————
——————————ने दिनांक——————————से दिनांक——————————तक
——————————में (क्रीड़ा/खेल कूद का नाम) का प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट (स्थान का नाम)——————————
आयोजित राष्ट्रीय——————————में (क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके/टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में——————————स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र——————————(प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान——————————
दिनांक——————————

हस्ताक्षर——————————
नाम——————————
पद——————————
प्रदेशीय संघ का नाम——————————
पता——————————
मुहर——————————

नोट:—यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेलकूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म—3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अर्न्तविश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम————————————————

राज्य स्तर की तृतीय/चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी————————————————
आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री————————————निवासी (पूरा पता)————————
————————————विश्वविद्यालय की कक्षा————————————के
विद्यार्थी ने दिनांक————————————से दिनांक————————तक————————
(स्थान का नाम) में आयोजित अर्न्तविश्वविद्यालय————————————————
(क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में————————————विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में————————————स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र डीन आफ-स्पोर्ट्स अथवा इन्चार्ज खेलकूद————————————विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान————————————
दिनांक————————————

हस्ताक्षर————————————
नाम————————————
पद————————————
पता————————————
मुहर————————————

नोट:—यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन आफ स्पोर्ट्स या इन्चार्ज खेलकूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म—4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश————————————————

राज्य स्तर की तृतीय/चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी————————————————
आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री————————————निवासी (पूरा पता)————————
————————————में————————————स्कूल में कक्षा————
————————के विद्यार्थी ने दिनांक————————————से दिनांक————————तक
————————————(स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की————————
————————(क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में————————स्कूल की ओर से भाग लिया।

उनके/टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में————————————स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान————————————
दिनांक————————————

हस्ताक्षर————————————
नाम————————————
पद————————————
पता————————————
————————————
मुहर————————————

यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा————————————————द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

पी० एस० यू० पी०--ए०पी० 23 सा० नियुक्ति 6-12-85-(2837)--1986-8,000 (प्रो०)।